



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072022-237249
CG-DL-E-12072022-237249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3009]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2022/आषाढ़ 20, 1944

No. 3009]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2022/ASHADHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2022

का.आ. 3165(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अभी निर्दिष्ट किया जाना है के निर्माण (चौड़ा करने /6/8 लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के क्रमशः स्तंभ (4), स्तंभ (5), स्तंभ (6) और स्तंभ (7), में उल्लिखित राज्य, जिलो, तालुकों और गावों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तथस्थानी प्रविष्टि विनिर्दिष्ट भू-खंड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारों के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अभी निर्दिष्ट किया जाना है पर भूमि अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डैप्यटी कलैक्टर, लेन्ड एक्विजिषन् नो. 11, सोलापुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to	महाराष्ट्र	सोलापूर	बार्षी उत्तर सोलापूर	1 घाणेगाव 1 बाळे

		be Assigned के कि.मी. 418.8 से 547 तक			अक्कलकोट	1	इटगे
--	--	---	--	--	----------	---	------

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi the 11th July, 2022

S.O. 3165(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from K.m. 418.8 to K.m. 547 of the No Yet to be Assigned for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. No Yet to be Assigned in the State of AHARASHTRA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Collector, Land Acquisition No. 11, Solapur	418.8KM To 547KM	MAHARASHTRA	SOLAPUR	Barshi	1 Ghanegaon
					North Solapur	1 Bale
					Akkalkot	1 Itage

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/AD-2021-22]

RAJESH GUPTA, Director